



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226315
CG-DL-E-01042021-226315

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1329]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2021/चैत्र 11, 1943

No. 1329]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2021/CHAITRA 11, 1943

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2021

का.आ. 1440(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01.10.2020 की अधिसूचना का.आ. 3449 (अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में चार पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यतः अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में चार पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के अन्य जिलों में निम्नलिखित चार पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 30.09.2021 तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए :-

- (i) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थाने;
- (ii) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;
- (iii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना;

[फा. सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

पियूष गोयल, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2021

S.O. 1440(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of four police stations in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as ‘disturbed area’ vide notification S.O.3449(E) dated 01.10.2020.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of four police stations in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following four police stations in other districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as ‘disturbed area’ under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 up to 30.09.2021 w.e.f. 01.04.2021, unless withdrawn earlier: -

- (i) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;
- (ii) Roing police station in Lower Dibang Valley district;
- (iii) Sunpura police station in Lohit district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V]

PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.